



दिनांक 07.09.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बिना वैध प्रपत्र व अवैध खनन सामग्री के 02 ट्रैक्टर-ट्रॉली को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढीकरण तथा अवैध खनन एवं खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा खनन अधिकारी सहारनपुर/थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.09.2026 को थाना सरसावा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान बिना खनन सम्बन्धी वैध प्रपत्र के खनन परिवहन करते हुए 02 अदद ट्रैक्टर मय ट्रॉली को चौकी क्षेत्र शहाजहाँपुर से नियमानुसार सीज किया गया।

इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद सहारनपुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं नियमविरुद्ध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाना तथा पर्यावरण संरक्षण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।

विवरण –

- 01 ट्रैक्टर सोनालिका मय ट्रॉली रंग नीला
- 01 ट्रैक्टर मय ट्रॉली महिंद्रा रंग लाल ट्रॉली रंग नीला

कार्यवाही करने वाली संयुक्त टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. श्री उ0नि0 श्री देवेन्द्र पाल तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. खनन प्रवर्तन दल/खान अधिकारी जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 532 ऋषिपाल सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 2477 अरविन्द कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 07.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी के ओवरलोड अवैध खनन परिवहन करने वाले
01 ट्रैक्टर व 02 ट्रालियों को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम व अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना चिलकाना व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन सामग्री परिवहन की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.09.2026 को चेकिंग के दौरान दुमझोडा मार्ग से 01 ट्रैक्टर व 02 ट्रालियों को बिना रायल्टी के ओवरलोड खनन सामग्री का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने के कारण मय अवैध खनन सामग्री के सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया। उपरोक्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जा रही है।

वाहन का विवरण

- 01 स्वराज ट्रैक्टर 855FE चैसिस नम्बर MBNBG53NLSHH03918 मय ट्राली
- 01 ट्राली जिसमें खनन सामग्री बालू रेत भरा है।

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री रवि कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. है०का० 843 विवेक कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.09.2026

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 2170/- रुपये नकद व वादी का आधार कार्ड बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 06.09.2026 को वादी श्री शमशाद अहमद पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम बरथा कायस्थ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की दुकान के गल्ले में रखे 2450 रु० व वादी का आधार कार्ड चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 326/26 धारा 305(ए) बीएनएस के पंजीकृत है।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नकबजन अभियुक्त उस्मान पुत्र इखलाख निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को गन्देवड मार्ग से गोवर्धनपुर ढुलानी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे चोरी गये 2170/- रुपये नकद व वादी का आधार कार्ड बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

उस्मान पुत्र इखलाख निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- चोरी गए 2170/- रुपये नकद
- वादी का आधार कार्ड

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त उस्मान)

1. मु०अ०सं० -53/18 धारा 380/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०सं० -336/18 धारा 2/3 गैगस्टर अधिनियम थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है०का० 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का० 636 गुरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07-09-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 02.06.2026 को वादी उ0नि0 श्री संजय कुमार राणा थाना नांगल जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर एक-दूसरे पर पथराव करने, लाठी-डण्डो व पलकटी से मारपीट करने, गाली-गलौज करने, धारदार हथियारों से जान से मारने की नियत से आपस में एक-दूसरे पर वार करने, जिससे अफरा-तफरी का माहौल पैदा होने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 185/26 धारा 191(1)/191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 7 क्रिमी0लॉ0 एक्ट पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नांगल पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त यामीन पुत्र नसीर निवासी ग्राम चहलौली थाना नांगल जनपद सहारनपुर को ग्राम चहलौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. यासीन पुत्र नसीर थाना नांगल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रनपाल सिंह थाना नांगल सहारनपुर
3. है0का0 1284 धर्मेन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
4. रि0का0 1532 ईशू सिंह थाना नांगल सहारनपुर



दिनांक: 07-09-2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही — थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा किया गया चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 फुट समर सिबल का केबिल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण: – दिनांक 07.09.2026 को वादी श्री प्रवीण पुत्र ठाठ सिंह निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा गांव साल्हापुर में स्थित ट्यूबवेलो के समरसेबिल से केबिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 464/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही: - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त विवेक उर्फ विक्का पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को जंगल ग्राम साल्हापुर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से चोरी गया 10 फुट समरसेबिल का केबिल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विवेक उर्फ विक्का पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम साल्हापुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 10 फुट समरसेबिल केबिल
- घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0

अभियुक्त विवेक उर्फ विक्का का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 183/24 धारा 379/411 IPC थाना बेहट स0पुर
2. मु0अ0सं0 331/20 धारा 380/411/457 IPC थाना नकुड़ स0पुर
3. मु0अ0सं0 332/20 धारा 414/411 IPC 41/102 CRPC थाना नकुड़ स0पुर
4. मु0अ0सं0 503/21 धारा 4/25 A ACT थाना नकुड़ स0पुर
5. मु0अ0सं0 53/23 धारा 380/411/457 IPC थाना नकुड़ स0पुर
6. मु0अ0सं0 282/24 धारा 111, 303(2), 317(2) BNS थाना नकुड़ स0पुर
7. मु0अ0सं0 286/24 धारा 111, 303(2), 317(2), 317(5), 336(2) BNS थाना नकुड़ स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री सौरभ राठौर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. का0 2082 तुषार अधाना थाना नकुड़ सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 07.09.2026

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गयी 67,496/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:- दिनांक 22.08.2026 को वादी/पीडित श्री कृष्णपाल पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम पदम नगली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर का फोन हैक कर कुल 2,44,546/- रुपये निकल जाने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर शिकायत प्राप्त हुई। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए NCRP PORTAL पर शिकायत सं० 33108260217227 दर्ज करायी गयी था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त शिकायत संख्या 33108260217227 में त्वरित प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित की धनराशि होल्ड करायी गयी थी। इसी क्रम में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते कुल 67,496/- रुपये की धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गई। धनराशि वापस पाकर पीडित द्वारा सहारनपुर पुलिस व थाना नकुड़ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बोद्ध थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री सौरभ राठौर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. का० 2194 लक्ष्मण प्रसाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. रि०का० 1631 पुनीत कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. रि०का० 1647 सचिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. रि०का० 1613 श्याम कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 07.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **02 वारंटी अभियुक्तगण** **1. मुख्तियार उर्फ मुख्खा पुत्र अजीज निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 3983/25 व मु0अ0स0 199/16 धारा 379/411 भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर में ग्राम दबकौरा से तथा **2. गीता पुत्र चमन निवासी ग्राम रण्डोल थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 5887/22 व मु0अ0स0 262/06 धारा 323/324/504/506/452 भादवि चालानी थाना बेहट स0पुर एवं वाद संख्या 9365/22 अ0स0 32/05 धारा 323/452/352/504/506/427 भादवि चालानी थाना बेहट जनपद में ग्राम रण्डोल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. मुख्तियार उर्फ मुख्खा पुत्र अजीज निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जिला सहारनपुर
2. गीता पुत्र चमन निवासी ग्राम रण्डोल थाना बेहट सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री संजय यादव थाना बेहट, सहारनपुर
2. हे0का0 619 हरेन्द्र सिंह थाना बेहट, सहारनपुर
3. रि0का0 448 पंकज कुमार थाना बेहट, सहारनपुर



दिनांक: 07.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया 01 किग्रा 270 ग्राम ताँबे का तार तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 07.09.2026 को वादी श्री सुमित पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम सढौली भूड थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर के द्वारा वादी के स्कूल राजेश पायलेट इंटर कालेज साढौली भूडी मे 40 मीटर ताँबे के तार काट ले जाने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 368/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में लिप्त **01 अभियुक्त शोएब पुत्र साजिद निवासी ग्राम रणडौल थाना बेहट जिला सहारनपुर** को गन्देवड चिलकाना मार्ग से भोजपुर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया 01 किग्रा 270 ग्राम ताँबे का तार व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शोएब पुत्र साजिद निवासी ग्राम रणडौल थाना बेहट जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 603/2021 धारा 379/411 भावि थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 06/2024 धारा 379. 411 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 335/2024 धारा 305 (a), 317 (2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 28/2025 धारा 305 (a), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 36/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 395/2025 धारा 305 (d), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 478/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 किग्रा 270 ग्राम ताँबे
- 01 घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बिना नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
2. है0का0 523 पुनीत कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
3. का0 71 ब्रजवीर राणा थाना बेहट, जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक -07.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये बिजली के तार 01 पिलास व 01 अंगूठी (पीली धातु) बरामद

घटना का विवरण:-

1. दिनांक 06.09.2026 को वादी शराफत हुसैन पुत्र विजारत हुसैन निवासी मौ0 चाहमंजली कोट कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के अन्दर के बिजली के तार उखाड़ कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 121/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।
2. दिनांक 06.09.2026 को वादी वसीम पुत्र शफी निवासी ग्राम बुन्दूगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक तहरीर बाबत अभि0 शाहिद पुत्र दिलशाद निवासी भारी अड्डा ईदगाह रोड कस्बा व थाना नानौता स0पुर द्वारा वादी के घर के अन्दर से 80,000 रुपये व एक पीली धातु की अंगूठी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0स0 122/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित अभियुक्त **1.शाहिद पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 कानूनगोयान भारी अड्डा ईदगाह रोड कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** व प्रकाश में आये शातिर चोर **2.मोनिस पुत्र फैजान निवासी ग्राम बुन्दूगढ थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को हमामपुर नहर पुल से कुआंखेडा जाने वाली नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये बिजली के तार, 01 पिलास व 01 अंगूठी (पीली धातु)। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. शाहिद पुत्र दिलशाद निवासी मौ0 कानूनगोयान भारी अड्डा ईदगाह रोड कस्बा व थाना नानौता, सहारनपुर।
2. मोनिस पुत्र फैजान निवासी ग्राम बुन्दूगढ थाना नानौता, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- बिजली का तार व 01 पिलास (संबंधित मु0अ0सं0 121/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)
- 01 अंगूठी (पीली धातु) (संबंधित मु0अ0सं0 122/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)

अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 221/25 धारा धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 264/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 292/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0स0 222/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

अभियुक्त मोनिस का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 221/25 धारा धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 264/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0 292/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0स0 221/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 106 विक्रान्त मान मय थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 839 कपिल राणा थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।
5. रि0का0 1744 हरदेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 07.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले 01 अभियुक्त** **को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजीव कुमार कौशिक के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 अभियुक्त **मोहित पुत्र सतीश नि0 न्यू आईटीसी गेट भगत वाटिका कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रोड पर सड़क से गुजर रही गाडी चालक से रास्ते को लेकर भला बुरा कहते हुए आमदा फसाद करने के कारण कानून एवं शान्ति व्यवस्था भंग की आशंका के दृष्टिगत चौकी क्षेत्र घण्टाघर थाना को0 नगर से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र सतीश नि0 न्यू आईटीसी गेट भगत वाटिका कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राकेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 306 सोनू कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1287 जगजीत थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 07.09.2026

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:-

दिनांक 28.08.2026 को वादी श्री सुशील कुमार पुत्र दयाचन्द निवासी ग्राम खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन सुदेश की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 440/26 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था जिसमें विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस का विलोपन करते हुए धारा 108 बीएनएस की बढौतरी की गयी।

पुलिस कार्यवाही:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आर्यन पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर** को विश्वकर्मा चौक कस्बा नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आर्यन पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम कपूरी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ सहारनपुर।
2. रि0आ0 1677 निशार अहमद थाना नकुड़ सहारनपुर।



दिनांक: 07.09.2026

-प्रेस नोट-
ऑपरेशन सवेरा

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ **सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करो के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही** □

थाना मिर्जापुर पुलिस का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 176 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में **“ऑपरेशन सवेरा”** – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.09.2026 को दौराने गस्त चैकिंग थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त नौशाद पुत्र मंगत उर्फ मकसूद निवासी ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को डाडल जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नौशाद के कब्जे से 176 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 280/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में **FORWARD AND BACKWARD** लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/ पता:-

नौशाद पुत्र मंगत उर्फ मकसूद निवासी ग्राम बेगपुर नौगावा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

176 ग्राम अवैध चरस,

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री रामकुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 37 अमरदीप थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 1879 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 07.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त को
किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2026 को वादी मन्नान पुत्र कामिल निवासी ग्राम फरखपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र हासिम 2.मोहसीन पुत्र हासिम 3.असजद पुत्र फीका निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर झाझर उर्फ डाडल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 02 अज्ञात द्वारा वादी के भाई फरमान के सिर पर धारदार हथियार व लाठी डण्डो से मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना तथा मारपीट में फरमान को गम्भीर चोट आ जाने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 258/26 धारा 191(2)/118(1)/115(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 117(2)/109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 7.9.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **शहजाद पुत्र हासिम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर झाझर उर्फ डाडल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को मिर्जापुर टोल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मानीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शहजाद पुत्र हासिम निवासी ग्राम मोहम्मदपुर झाझर उर्फ डाडल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1879 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 07.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव पुलिस द्वारा पैदल गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थानों एवं शराब की दुकानों पर
संघन चेकिंग, बिना नंबर प्लेट एवं बिना कागजात के 05 मोटरसाइकिलें सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की प्रभावी चेकिंग हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बड़गाँव श्री नरेन्द्र भडाना के कुशल नेतृत्व में थाना बड़गांव पुलिस द्वारा क्षेत्र में पैदल गश्त (Foot Patrolling) की गई। पैदल गश्त के दौरान थाना पुलिस द्वारा क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों एवं शराब की दुकानों के आसपास संघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान संदिग्ध अवस्था में खड़े/मिलने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 05 मोटरसाइकिलें बिना नंबर प्लेट एवं बिना वैध कागजात के पाई गईं। वाहन चालकों द्वारा वाहनों के संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर थाना बड़गांव पुलिस द्वारा उक्त 05 मोटरसाइकिलों को धारा 207 एमवीएक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार सीज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

थाना बड़गांव पुलिस द्वारा क्षेत्र में लगातार पैदल गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस द्वारा आमजन से अपील की जाती है कि अपने वाहनों के समस्त आवश्यक दस्तावेज साथ रखें तथा यातायात नियमों का पालन करें।

कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम

- 1- थानाध्यक्ष श्री नरेन्द्र भडाना थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री सतीश चन्द थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर
- 4- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर
- 5- उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर
- 6- कां0 1198 अनिल कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर ।
- 7- कां0 248 अंकित कुमार थाना बड़गांव जनपद सहारनपुर